

27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।


मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सर्वश्री मुकेश कुमार वर्मा, शिवपूजन, मुकेश बाबू तथा राम शंकर राजवंशी के अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में सर्वश्री मुकेश कुमार वर्मा, शिवपूजन, मुकेश बाबू तथा राम शंकर राजवंशी से प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुनरावंटन हेतु प्रत्यावेदनो पर विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि सर्वश्री मुकेश कुमार वर्मा, व्याख्याता, शिवपूजन, पुस्तकालयाध्यक्ष मुकेश बाबू, अध्यक्ष कम्प्युटर तथा राम शंकर राजवंशी, अनुदेशक स्टैनोग्राफी, की नियुक्ति पर्वतीय उपसंवर्ग के तहत कि गई थी तथा इनका आवंटन दिनांक 11.09.2001 के आदेश के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के लिए किया जा चुका है । अतः समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदनों को निरस्त किये जाने कि संस्तुति की गई ।

2 भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार सर्वश्री मुकेश कुमार वर्मा, शिवपूजन, मुकेश बाबू तथा राम शंकर राजवंशी, उत्तराखंड राज्य में बने रहेंगे।



संबन्धित कार्मिकों को निर्णय के बारे में सूचित किया जाये ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

आवर सचिव, भारत सरकार

- प्रतिलिपि:-
- (1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
 - (2) श्रीमति हेमलता डौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।